

23/11/22

वकील पत्रकारक धरिण / प्रार्थ
स्वयं उपस्थित / प्रार्थ के विरुद्ध
मान के आधार पर वाद वादी
विही में खासि किना जा मुका
घे अता इस प्रकार में कोर्ट कार्यवाही
शेष नहीं रह गयी है। अतः डा-फर
की कार्यवाही इसी उत्तर पर शेष
की जाकर प्रत्येक चय खासि किना
जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी
अस्पाई कि वेदाज्ञा (डिग्रेड 22/11/22
को निरस्त किना जाता है) परावर्त
किसल में शुमार होकर मूल वाद में
जाय-संलग्न रहे।

राजीव कुमार शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

